F.No.5 (1)/2018-Gov.Cell
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare
Department of Agricultural Research & Education
Krishi Bhawan, New Delhi – 110001

Dated the 25th June, 2019

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under Rule 40 of the Rules & Bye-Laws of the ICAR Society and on the basis of the approval accorded by the Governing Body of the ICAR Society during its 246th Meeting held on 12th February, 2019 following Bye-Laws/Old Bye-Laws of the ICAR Society shall stand amended as detailed below:-

BYE-LAWS OF THE ICAR SOCIETY

Sl. No.	Bye-Laws	Existing Provisions	Amended Provision
1.	**21**	Categorisation of posts The posts in the Council shall be categorised as Scientific, Technical, Administrative (including Accounts), Auxiliary and Supporting on the basis of the following criteria:- (a) Scientific: Scientific personnel shall be those who are engaged in agricultural research and education (including extension education) whether in physical, statistical, biological, engineering, technological or social sciences. This category shall also include persons engaged in planning, programming and management of scientific research. (b) Technical: Technical personnel shall be those who perform technical service in support of research and education whether in the Laboratory, Workshop or field, or in areas like Library, Documentation, Publication and Agricultural Communication. (c) Administrative: Administrative personnel shall be those who provide administrative support for the work of the	The posts in the Council shall be categorised as Scientific, Technical, Administrative & Finance, Skilled Supporting Staff on the basis of the following criteria:- (a) Scientific: Scientific personnel shall be those who are engaged in agricultural research and education (including extension education) whether in physical, statistical, biological, engineering, technological or social sciences. This category shall also include persons engaged in planning, programming and management of scientific research. (b) Technical: Technical personnel shall be those who perform technical service in support of research and education whether in the Laboratory, Workshop or field or in areas like Library, Documentation, Publication and Agricultural Communication. (c) Administrative and Finance: Administrative and Finance personnel shall be those who provide administrative and

Rajesh Kumar
25/6/19

		Laboratory/ Institute/Headquarters Organization.	financial support to the work of the ICAR Laboratory/ Institute/Headquarters and the Organization.
		(d) Auxiliary: Auxiliary personnel shall be those who are not directly connected with the research and education activities of the Organization, and are not covered by the other categories defined in this bye-law.	Deleted
		(e) Supporting: Supporting personnel shall be those who generally help and support the above four categories of staff. They may be skilled, semi-skilled or unskilled.	(d) Skilled Supporting Staff: Skilled Supporting Staff Personnel shall be those who generally help and support the above categories of staff.
		The categorization of posts shall be done in the Council with the approval of the Governing Body. The Governing Body shall have power to alter, amend or add to the above criteria for classification of posts with the approval of the President.	The categorization of posts shall be done in the Council with the approval of the Governing Body. The Governing Body shall have power to alter, amend or add to the above criteria for classification of posts with the approval of the President.
2.	**24**	The Composition of Committees, Boards or other such bodies for promotion, selection, recruitment and other matters incidental thereto or connected therewith for various posts under the Council shall be as prescribed in consultation with the Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board or any other member authorized by him and duly approved by the President, ICAR.	Deleted
3.	**26**	The Director-General may on his own or on the advice of the Directors of the Research Institutes or Vice-Chancellors of the Agricultural Universities invite an eminent Indian Scientist for appointment in a suitable grade according to his qualifications and experience with the concurrence of the Agricultural Scientists' Recruitment Board and with the approval of the President.	The Director-General may on his own or on the advice of the Directors of the Research Institutes or Vice-Chancellors of the Agricultural Universities invite an eminent Indian Scientist, as per laid down criteria, for appointment in a suitable grade according to his/her qualifications and experience, in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board and with the

Rajesh Kumar
25/6/15

			approval of the President.
4.	**28**	Notwithstanding anything contained in these bye-laws, the provisions of the existing Bye-laws 38 to 42 of the Indian Council of Agricultural Research Bye-laws relating to recruitment and appointment to various posts in and under the Council shall continue to be in force till such time as the Recruitment Rules for various categories of posts in the Council as provided in Rule 73 of the Indian Council of Agricultural Research Rules are framed and enforced.	Notwithstanding anything contained in these Bye-Laws, the provisions of the existing Bye-laws 38 to 42 of the Indian Council of Agricultural Research Bye-laws relating to recruitment and appointment to various posts in and under the Council shall be retained with minor modifications.

OLD BYE-LAWS OF THE ICAR SOCIETY

Sl. No.	Old Bye-Laws	Existing Provisions	Amended Provisions
1.	**38**	**APPOINTMENTS** 38. The Officers and staff of the Society shall be grouped in the following categories :- i) Scientific; ii) Auxiliary Technical; iii) Administrative, Ministerial and Accounts; and iv) Subordinate staff.	38. The Officers and staff of the Society shall be grouped in the following categories :- i) Scientific; ii) Technical; iii) Administrative and Finance; and iv) Skilled Supporting Staff.
2.	**39**	(1) Notwithstanding anything in these Bye-laws, the work relating to recruitment to all or any category of posts in the Council's Headquarters and its Research Institutes/Laboratories/Centres may be entrusted by the President/Vice-President, to the Agricultural Scientists' Recruitment Board set up by the Society with the approval of the Government of India, as an independent recruitment agency.	(1) Notwithstanding anything in these Bye-laws, the work relating to recruitment to all or any category of posts in the Council's Headquarters and its Research Institutes/Laboratories/Centres may be entrusted by the President, ICAR Society to the Agricultural Scientists' Recruitment Board.

Rajesh Kumar
25/6/19

		(2) The composition of the Selection Committees/Interview Boards for various scientific and technical posts in the Indian Council of Agricultural Research Headquarters and its Institutes shall be as under :- I. Posts of Deputy Directors-General and Assistant Directors-General at Indian Council of Agricultural Research Headquarters, may be filled on transfer/deputation basis on the recommendations of a Departmental Selection Committee to be constituted by the President of the Society. The currently vacant posts of Deputy Directors-General and Assistant Directors-General at the Headquarters, at the time of notification of these Bye-laws, shall be filled through transfer/deputation on the recommendations of a Departmental Selection Committee to be constituted by the Society in consultation with the Government of India (Department of Personnel). II. Scientific and Technical posts in the grade of Rs 325-575 and above up to grade of Rs 1100-1400, or equivalent grades as may be revised from time to time, at the Indian Council of Agricultural Research Headquarters. Interview Board i) Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board - Chairman ii)Director-General or his representative -Member iii) Two or three Advisors - Members III (a) Posts of Directors in various grades at the Institutes. Interview Board i) Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board -Chairman ii) Director-General or his representative - Member	The Recruitment shall be made in accordance with the extant RRs for the posts requisitioned by ICAR. The Director General, ICAR or his representative shall be nominee in Committees, Boards or other such bodies to be constituted for recruitment, selection, promotion and other matters incidental thereto or connected therewith for various posts under the Council. For the posts for which there is no reference to ASRB, the Composition of the Selection Committees/Interview Boards for the posts in ICAR Headquarters and its institutes shall be with due approval of the Secretary/DG/President ICAR, as the case may be.

Rajesh Kumar
25/6/15

		iii) (a)Two to three Advisors – Members (b) Other scientific and technical posts in the grade of Rs 700-1250 and above, or equivalent grades as may be revised from time to time (excluding Directors' posts at the Institutes). Interview Board i) Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board -Chairman ii) Director or his representative - Member iii) Two or three Advisors - Members IV. Scientific and Technical posts in the grade of Rs 325-575 and above up to grade Rs 400-950, or equivalent grades as may be revised from time to time, at the Institutes subject to the recommendations of the Institutes' Selection Panels being accepted by the Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board. Selection Committee i) Two Advisors (One of the Advisors shall act as Chairman). ii) Director or his representative - Member V. Scientific and Technical posts in Class III- a) In the Indian Council of Agricultural Research Headquarters : Selection Committee i) Chairman to be nominated by the Vice-President and Director-General-Chairman ii) Assistant Director-General - Member iii) One outside Expert to be nominated by the Vice-President and Director- General Member (b) At the Institutes-Selection Committee	

Rajesh Kumar
25/6/19

		i) Director or his representative-Chairman ii) Two Advisors to be nominated by the Director, at least one of whom will be from outside the Indian Council of Agricultural Research Members	
		(3) (a) In the event of the Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board, not being able to attend the Interview Boards, as mentioned in clauses II and III (a) and (b) of this Bye-law, he will nominate an outside Expert as Advisor to act on his behalf as Chairman of the Interview Board. (b) (i) In the cases I, II & III above, the Advisers on the various Interview Boards/Departmental Selection Committee will be nominated by the Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board. (ii) In the case of IV above, the Directors will send a list of Advisors to the Agricultural Scientists' Recruitment Board out of whom the Chairman, Agricultural Scientists' Recruitment Board will nominate a few Advisors in order of preference for acting as the Chairman and Member of the Selection Committee and also on Screening Committee, wherever necessary.	Deleted
		(4) The President, the Vice-President and Director-General, the Directors of the Institutes, and the Secretary, Indian Council of Agricultural Research shall exercise powers of Appointing Authority in regard to scientific and technical posts in the Indian Council of Agricultural Research as mentioned below :- (a) President- Post carrying a pay scale, the maximum of which is above Rs. 1600/- p.m. (b) Vice-President and Director-	39(4) Appointing Authority for appointment to various posts in ICAR shall be as notified vide Council's letter No.39-4/2001-Vig. Dated 31.05.2001, letter No.TS-19(11)/2010-Estt.IV dated 06.09.2018 and No.TS-19(11)/2010-Estt.IV(ii) dated 07.09.2018, as amended from time to time.

Rajesh Kumar
25/6/19

		General -Posts in Class-I, the maximum pay scale of which does not exceed Rs 1600/- p.m. except Junior Class I posts. (c) Directors -All posts up to Junior Class I in the Institute. (d) Secretary- All posts up to Junior Class I in the Indian Council of Agricultural Research Headquarters.	
		(5) In addition to the above work relating to recruitment entrusted to it, the Agricultural Scientists' Recruitment Board shall be consulted : (a) On all matters relating to methods of recruitment to posts in and under the Council; (b) On the principles to be followed in making appointments and promotions to posts and the suitability of candidates for such appointments and promotions; (c) On such disciplinary matters affecting persons in the posts equivalent to Class II and above in the Central Government serving under the Council and in its Research Institutes, as the President, in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board, may specify.	The Recruitment shall be made in accordance with the extant RRs for each post.
3.	**40.**	(1) The post included in categories (i) and (ii) in Bye-law 38 shall be filled by advertisement on All-India basis in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board, save and except that : (i) Posts in respect of which the procedure for appointment is laid down in these Bye-laws shall be filled in accordance with the said procedure; and (ii) Posts in respect of which the procedure for filling the same on tenure basis by transfer/deputation, as	**Manner of Recruitment** Posts in respect of which the procedure for appointment is laid down in the Recruitment Rules shall be filled in accordance with the said procedure; and in the absence of RRs, due guidelines/rules of DoPT shall be followed.

Rajesh Kumar
25/6/19

		laid down in Bye-law 39(2) (I) shall be filled in accordance with the said procedure through the Departmental Selection Committees. Provided that posts in Class III may be filled by inviting nominations from Employment Exchanges and appointments may be made on recommendations of a Selection Committee to be constituted for the purpose as laid down in clause V (a) and (b) of Bye-law 39. (2) Recruitments, appointments, promotions and transfers to posts included in category (iii) of Bye-law 38 shall be made in accordance with such rules and orders as may be made by the President, in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board, which will, as far as practicable, be similar to rules in force for corresponding post under the Central Government provided that the President may delegate his powers in this respect to the Director-General, the Secretary, and the Directors, as he may deem necessary and expedient in the interests of the Council. (3) Appointments to posts included in category (iv) in Bye-law 38 may be made by inviting nominations from Employment Exchanges and on the recommendations of a Selection Committee to be constituted by the Appointing Authority.	
4.	**41**	Notwithstanding anything contained in these Bye-laws, the Director-General and Vice-President, Indian Council of Agricultural Research, may in exceptional cases, in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board invite a qualified Indian Scientist abroad or in India to accept an appointment to a Scientific or Technical post of which he is the Appointing Authority, for a period not exceeding one year.	Notwithstanding anything contained in these Bye-laws, on the recommendation of the Director-General, ICAR and with the approval of the President, ICAR Society, a qualified Indian Scientist abroad or in India, may be invited in exceptional cases and in public interest, in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board; to accept an appointment to a Scientific or Technical post for a period not

Rajesh Kumar
25/6/19

			exceeding five years.
5.	**42**	All appointments and promotions shall be made in accordance with the Recruitment Rules already framed or to be framed in consultation with the Agricultural Scientists' Recruitment Board, for each post or category of posts.	All appointments and promotions shall be made in accordance with the extant Recruitment Rules for each post or category of posts in the Council. The ASRB may be consulted, if required, in revision of RRs.
6.	**43**	The Agricultural Scientists' Recruitment Board shall submit annually report on its activities for each financial year to the President by the second week of May of that year.	Deleted

Rajesh Kumar
(Rajesh Kumar)
Under Secretary
to the Government of India

Distribution:

1. Chairman/Members/Secretary, ASRB
2. All Officers and Sections at ICAR Headquarters/KAB-I&II through e-office Notice Board
3. All Directors of the ICAR Institutes/NRCs/ATARIs/PDs/Bureaux through ICAR Website
4. PS to Hon'ble AM
5. PSO to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA, DARE/ICAR
6. Establishment Division, DARE
7. Media Unit for publishing on ICAR website
8. Guard file/Spare Copies

फाइल सं. 5(1)/2018- शासन प्रकोष्ठ
भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

दिनांक: 25 जून, 2019

अधिसूचना

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के नियमों एवं उप-विधियों के नियम 40 के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी के शासी निकाय की दिनांक 12 फरवरी, 2019 को आयोजित 246वीं बैठक में हुए अनुमोदन के आधार पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की निम्नलिखित वर्तमान उपविधियाँ/पुरानी उपविधियाँ नीचे दिए गए विवरण के अनुसार संशोधित मानी जाएंगी:-

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसायटी की उपविधियाँ

क्रमांक	उप विधि	मौजूदा प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	21	पदों का वर्गीकरण परिषद में निम्नलिखित मानदंड के आधार पर पदों का वर्गीकरण वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक (जिसके अंतर्गत लेखा शामिल है), आनुषंगिक एवं सहायक के रूप में किया जाएगा: (क) वैज्ञानिक: वैज्ञानिक कार्मिक वे होंगे जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (जिसके अंतर्गत विस्तार शिक्षा भी शामिल है) के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं चाहे वे भौतिक, सांख्यिकीय, जैविक, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकीय अथवा सामाजिक विज्ञान से जुड़े हों। इस वर्ग के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में योजना, कार्यक्रम बनाने और उसके प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। (ख) तकनीकी: तकनीकी कार्मिक वे होंगे जो अनुसंधान और शिक्षा के समर्थन में तकनीकी	 परिषद में निम्नलिखित मानदंड के आधार पर पदों का वर्गीकरण वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित तथा दक्ष सहायक कर्मचारी के रूप में किया जाएगा: (क) वैज्ञानिक: वैज्ञानिक कार्मिक वे होंगे जो कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा (जिसके अंतर्गत विस्तार शिक्षा शामिल है) के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं चाहे वे भौतिक, सांख्यिकीय, जैविक, इंजीनियरींग, प्रौद्योगिकीय अथवा सामाजिक विज्ञान से जुड़े हों। इस वर्ग के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में योजना, कार्यक्रम बनाने और उसके प्रबंधन से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। (ख) तकनीकी: तकनीकी कार्मिक वे होंगे जो अनुसंधान

राजेश कुमार
25/6/19

		सेवा करते हैं चाहे वे प्रयोगशाला, कार्यशाला या फील्ड अथवा ऐसे क्षेत्रों जैसे पुस्तकालय, प्रलेखन, प्रकाशन तथा कृषि सूचना में कार्य करते हैं। (ग) प्रशासनिक: प्रशासनिक कार्मिक वे होंगे जो प्रयोगशाला/संस्थान/ संगठन के मुख्यालय से संबंधित कार्य में प्रशासनिक सहायता देते हैं। (घ) आनुषंगिक: आनुषंगिक कार्मिक वे होंगे जो संगठन के अनुसंधान और शिक्षा कार्यकलापों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं हैं और न ही उन्हें इस उपविधि में परिभाषित और शामिल किया गया है। (ङ) सहायक: सहायक कार्मिक वे होंगे जो सामान्यत: उपर्युक्त चार वर्गों के कर्मचारियों की सहायता और समर्थन करते हैं। वे कुशल, अर्धकुशल अथवा अकुशल कार्मिक हो सकते हैं। परिषद में पदों का श्रेणीकरण शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। शासी निकाय को अध्यक्ष के अनुमोदन से पदों के वर्गीकरण को बदलने, संशोधित करने अथवा उसमें परिवर्धन करने की शक्ति होगी।	और शिक्षा के समर्थन में तकनीकी सेवा करते हैं चाहे वे प्रयोगशाला, कार्यशाला या फील्ड अथवा ऐसे क्षेत्रों जैसे पुस्तकालय, प्रलेखन, प्रकाशन तथा कृषि सूचना में कार्य करते हैं। (ग) प्रशासनिक और वित्त: प्रशासनिक और वित्त कार्मिक वे होंगे जो भाकृअप प्रयोगशाला/ संस्थान/ संगठन के मुख्यालय से संबन्धित कार्य में प्रशासनिक तथा वित्त सहायता देते हैं। हटा दिया गया (घ) दक्ष सहायक कर्मचारी: दक्ष सहायक कर्मचारी वे होंगे जो सामान्यतया उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों की सहायता और समर्थन करते हैं। परिषद में पदों का श्रेणीकरण शासी निकाय के अनुमोदन से किया जाएगा। शासी निकाय को अध्यक्ष के अनुमोदन से पदों के वर्गीकरण को बदलने, संशोधित करने अथवा उसमें परिवर्धन करने की शक्ति होगी।
2	**24**	परिषद के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए पदोन्नति, चयन, भर्ती और अन्य आनुषंगिक मामलों अथवा उससे संबंधित मामलों के लिए समितियों, बोर्डों अथवा अन्य ऐसे निकायों का	हटा दिया गया

राजेश कुमार
25/6/19

		गठन किया जाएगा जिसे कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित अन्य किसी सदस्य के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा।	
3	**26**	महानिदेशक स्वयं अथवा अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के परामर्श से तथा कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल की सहमति से तथा अध्यक्ष के अनुमोदन से उसकी शैक्षिक योग्यता और अनुभव के अनुसार उपयुक्त ग्रेड में प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक को नियुक्ति के लिए आमंत्रित करेगा।	महानिदेशक स्वयं अथवा अनुसंधान संस्थानों के निदेशकों अथवा कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के परामर्श से तथा कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल की सहमति से तथा अध्यक्ष के अनुमोदन से, निर्धारित मानदंडों के अनुसार, उसकी योग्यता तथा अनुभव के अनुसार उपयुक्त ग्रेड में प्रतिष्ठित भारतीय वैज्ञानिक को नियुक्ति के लिए आमंत्रित करेगा।
4	**28**	इन उपविधियों में दिए गए किसी उपबंध के बावजूद परिषद में और इसके अधीन विभिन्न पदों की भर्ती और नियुक्ति से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उप-विधियों की मौजूदा उप-विधि 38 से 42 के उपबंध, उस समय तक लागू रहेंगे जब तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नियम 73 में बताए गए अनुसार परिषद में विभिन्न वर्ग के पदों के लिए भर्ती के नियम बनाए और लागू नहीं किए जाते हैं।	इन उपविधियों में दिए गए किसी उपबंध के बावजूद परिषद में और इसके अधीन विभिन्न पदों की भर्ती और नियुक्ति से संबंधित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की उप-विधियों की मौजूदा उप-विधि 38 से 42 के उपबंध अल्प संशोधनों के साथ बनाए रखे जाएंगे।

भाकृअप सोसायटी की पुरानी उप-विधियां

क्र. सं.	**पुरानी उप विधियां**	**मौजूदा प्रावधान**	**संशोधित प्रावधान**
1	**38**	**नियुक्तियां** 38. सोसायटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा:- i) वैज्ञानिक ii) आनुषंगिक तकनीकी iii) प्रशासनिक, लिपिकवर्गीय एवं लेखा तथा iv) अधीनस्थ कर्मचारी	38. सोसायटी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निम्नलिखित वर्गों में वर्गीकृत किया जाएगा:- i) वैज्ञानिक ii) तकनीकी iii) प्रशासनिक एवं वित्त तथा iv) दक्ष सहायक कर्मचारी

राजेश कुमार
25/6/19

2	39	(1) इन उप-विधियों में किसी बात के बावजूद, भारत सरकार के अनुमोदन से स्वतंत्र भर्ती एजेंसी के रूप में सोसाइटी द्वारा गठित 'कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल' को अध्यक्ष/उपाध्यक्ष द्वारा परिषद के मुख्यालय और इसके अनुसंधान संस्थानों/ प्रयोगशालाओं/ केन्द्रों में समस्त अथवा किसी वर्ग के पदों की भर्ती से संबंधित कार्य सौंपे जाएंगे।	39(1) इन उप-विधियों में किसी बात के बावजूद, अध्यक्ष, भाकृअप सोसाइटी द्वारा 'कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल को परिषद के मुख्यालय और इसके अनुसंधान संस्थानों/प्रयोगशालाओं/ केन्द्रों में समस्त अथवा किसी वर्ग के पदों की भर्ती से संबंधित कार्य सौंपे जाएंगे।
		(2) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय और इसके संस्थानों में विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी पदों के लिए चयन समितियों/साक्षात्कार बोर्ड का गठन निम्नलिखित प्रकार से होगा:- I. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय में उप महानिदेशक और सहायक महानिदेशक के पदों को सोसायटी के अध्यक्ष द्वारा गठित विभागीय चयन समिति की सिफारिशों पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा। इन उप-विधियों की अधिसूचना के समय, मुख्यालय में उप महानिदेशक और सहायक महानिदेशक के मौजूदा रिक्त पदों को भारत सरकार (कार्मिक विभाग) के परामर्श से सोसायटी द्वारा गठित विभागीय चयन समिति की सिफारिशों पर स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा। II. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के वैज्ञानिक और तकनीकी पद समय-समय पर संशोधित समान ग्रेड के वेतनमान रू. 325-575 और उससे अधिक 1100-1400 रूपये तक की है। **साक्षात्कार बोर्ड** i) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल - अध्यक्ष ii) महानिदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि - सदस्य iii) दो या तीन सलाहकार- सदस्य III. (क) संस्थानों में विभिन्न ग्रेड में निदेशकों के	भाकृअप द्वारा मांग किए गए पदों के लिए, भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती की जाएगी। परिषद के तहत विभिन्न पदों के भर्ती, चयन, पदोन्नति एवं अन्य मामलों हेतु गठित समितियों, बोर्ड या अन्य ऐसे निकायों में महानिदेशक, भाकृअप या उसका प्रतिनिधि नामित किया जाएगा। उन पदों के लिए जहां एएसआरबी का कोई संदर्भ नहीं है, वहां भाकृअप मुख्यालय और इसके संस्थानों में पदों के लिए चयन समिति/साक्षात्कार बोर्ड का गठन, मामले के अनुसार, भाकृअप के अध्यक्ष/महानिदेशक/सचिव के अनुमोदन से किया जाएगा।

राजेश कुमार
25/6/19

		पद साक्षात्कार बोर्ड i) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल - अध्यक्ष ii) महानिदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि - सदस्य iii) (क) दो या तीन सलाहकार - सदस्य (ख) वेतनमान 700-1250 रूपये और उससे अधिक में अथवा समय-समय पर संशोधित समान ग्रेड के (संस्थानों के निदेशकों के पद को छोड़कर) अन्य वैज्ञानिक और तकनीकी पद। साक्षात्कार बोर्ड i) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल - अध्यक्ष ii) निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि - सदस्य iii) दो या तीन सलाहकार - सदस्य IV. वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनका वेतनमान रू. 325-575 और अधिक और रू. 400-950 तक है अथवा समतुल्य ग्रेड जो समय-समय पर संशोधित किया जाए। चयन समिति की सिफारिशों पर संस्थानों में कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल के अध्यक्ष के माध्यम से मंजूरी दी गई।	
		चयन समिति (i) दो सलाहकार (सलाहकारों में से एक सलाहकार अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे) (ii) निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि - सदस्य (V) श्रेणी III में वैज्ञानिक और तकनीकी पद- (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय में: चयन समिति (i) उपाध्यक्ष और महानिदेशक द्वारा मनोनीत अध्यक्ष - अध्यक्ष (ii) सहायक महानिदेशक- सदस्य (iii) उपाध्यक्ष और महानिदेशक द्वारा मनोनीत बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य (ख) संस्थान में चयन समिति (i) निदेशक अथवा उसका प्रतिनिधि - अध्यक्ष (ii) निदेशक द्वारा मनोनीत किए गए दो सलाहकार, जिसमें से कम से कम एक सलाहकार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बाहर से होगा। - सदस्य	

राजेश कुमार
25/6/19

		3. (क) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के साक्षात्कार बोर्डों में उपस्थित न हो पाने की स्थिति में, जैसा कि इस उप-नियम के खंड II और III (क) एवं (ख) में बताया गया है, वह सलाहकार के रूप में बाह्य विशेषज्ञ को अपनी ओर से साक्षात्कार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करेगा। (ख) (i) उपर्युक्त I, II, III, के मामले में अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल विभिन्न साक्षात्कार बोर्ड/विभागीय चयन समिति के सलाहकार मनोनीत करेगा। (ii) उपर्युक्त IV के मामले में, निदेशक द्वारा कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल को सलाहकारों की सूची भेजेंगे जिसमें से अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल कुछ सलाहकारों को चयन समिति और साथ ही छानबीन समिति के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अधिमान्यता क्रम से मनोनीत करेगा।	हटा दिया गया
		(4) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और महानिदेशक, संस्थानों के निदेशक, सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वैज्ञानिक और तकनीकी पदों के विषय में नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, जो इस प्रकार होंगी:- (क) अध्यक्ष वह पद जिसका अधिकतम वेतनमान प्रतिमाह 1600 रूपये से अधिक है। (ख) उपाध्यक्ष और महानिदेशक वर्ग-I के पद जिसका अधिकतम वेतनमान कनिष्ठ वर्ग I पद को छोड़कर प्रतिमाह 1600 रूपये से अधिक नहीं। (ग) निदेशक संस्थान के कनिष्ठ वर्ग-I तक के सभी पद। (घ) सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के कनिष्ठ वर्ग-I तक के सभी पद।	39 (4) भाकृअप में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को परिषद के पत्र सं. 39-4/2001 सतर्कता, दिनांक 31.5.2001, पत्र सं. - TS-19 (11)/2010.स्था-IV दिनांक 6.9.2018 तथा TS-19 (11)/2010 स्था.IV(ii) दिनांक 7.9.2018 (अनुबंध, I, II तथा III के अनुसार) के द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचित कर दिया जाएगा।
		(5) सौंपे गए भर्ती से संबंधित उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल निम्नलिखित विषयों पर अपना परामर्श देगा: (क) परिषद में और इसके अंतर्गत पदों की भर्ती की प्रणाली से संबंधित सभी मामलों पर;	प्रत्येक पद के भर्ती नियमों के अनुसार भर्ती की जाएगी।

राजेश कुमार
25/6/19

		(ख) पदों की नियुक्तियों और पदोन्नति में अपनाए जाने वाले नियमों तथा ऐसी नियुक्तियों और पदोन्नतियों के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता के मामलों पर; (ग) परिषद के अंतर्गत और इसके अनुसंधान संस्थानों में कार्यरत केन्द्र सरकार के वर्ग ।। और ऊपर के समतुल्य पदों से जुड़े व्यक्तियों के अनुशासनात्मक मामलों पर जैसा कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से अध्यक्ष निर्देश दें।	
3	40	(1) उप-विधि 38 में दिए गए श्रेणी (i) और (ii) में सम्मिलित पदों को अखिल भारतीय आधार पर निम्नलिखित के अतिरिक्त कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से भरा जाएगा: (i) उन पदों को उक्त प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया इन उप-विधियों में दी गई है। (ii) उन पदों को विभागीय चयन समिति के माध्यम से उक्त प्रक्रिया के अनुसार भरा जाएगा जिनकी प्रक्रिया स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा कार्यकाल आधार पर उप-विधि 39 (2) (1) में दी गई है। परन्तु वर्ग-III के पद रोजगार कार्यालय द्वारा नामांकन आमंत्रित करके भरे जाएंगे और उप-विधि 39 के खंड-V (क) और (ख) में दिए गए प्रयोजनों के लिए स्थापित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्तियां की जाएंगी। (2) उप-विधि 38 की श्रेणी (iii) में सम्मिलित पदों पर भर्ती, नियुक्तियां, पदोन्नतियां और स्थानांतरण कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से अध्यक्ष द्वारा बनाए गए नियम और आदेश के अनुसार की जाएंगी जो कि यथासाध्य केन्द्र सरकार के अधीन तदनुरूप पदों के लिए लागू नियमों के समान होंगे किन्तु अध्यक्ष इस संबंध में महानिदेशक, सचिव और निदेशकों को, जैसा वह आवश्यक समझे और परिषद के हित के समीचीन, अपनी शक्तियां प्रत्यायोजित करेगा। (3) उपविधि 38 के श्रेणी (iv) के अंतर्गत सम्मिलित पदों की नियुक्ति रोजगार कार्यालय से नामांकन	**भर्ती का स्वरूप** भर्ती नियमों में निर्दिष्ट नियुक्ति के लिए पदों को भरने का कार्य उक्त प्रक्रिया के अनुसार होगा, और भर्ती नियम न होने की स्थिति में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों/नियमों का अनुसरण किया जाएगा।

राजेश कुमार
25/6/19

		आमंत्रित करके और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्थापित की गई चयन समिति की सिफारिशों पर की जाएगी।	
4.	41	इन उप-विधियों में अन्तर्विष्ट नियमों के होते हुए भी किसी विशिष्ट मामले में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक और अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से, विदेश अथवा भारत के शैक्षिक योग्यता प्राप्त भारतीय वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पदों की नियुक्ति करने हेतु आमंत्रित कर सकते हैं जिसके वे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए नियुक्ति प्राधिकारी नहीं है।	इन उप-विधियों में किसी बात के होते हुए भी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की सिफारिश पर और अध्यक्ष, भाकृअप सोसायटी के अनुमोदन से विशिष्ट मामलों और जनहित में, कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से विदेश अथवा भारत से शैक्षिक अर्हता प्राप्त किसी भारतीय वैज्ञानिक को पांच वर्ष से अनधिक अवधि के लिए किसी वैज्ञानिक अथवा तकनीकी पद की नियुक्ति स्वीकार करने हेतु आमंत्रित किया जा सकता हैं।
5.	42	प्रत्येक पद अथवा हर वर्ग के पदों के लिए सभी नियुक्तियां और पदोन्नतियां कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल के परामर्श से पहले बनाए गए अथवा बनाए जाने वाले भर्ती नियमों के अनुसार की जाएंगी।	परिषद में प्रत्येक पद अथवा श्रेणी के पदों लिए सभी नियुक्तियां और पदोन्नतियां वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। भर्ती नियमों में संशोधन के लिए, यदि आवश्यक है तो 'कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल' के साथ परामर्श किया जा सकता है।
6.	43	कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अपने कार्यकलापों की वार्षिक रिपोर्ट उस वर्ष के मई महीने के दूसरे सप्ताह तक अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।	हटा दिया गया

राजेश कुमार 23/6/19

(राजेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार

वितरण:

1. अध्यक्ष/सदस्य/सचिव,कृषि वैज्ञानिक चयन मण्डल
2. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग, e-office नोटिस बोर्ड के माध्यम से

3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी Institutes/NRCs/ATARIs/PDs/Bureaux के निदेशक, ICAR वेबसाइट के माध्यम से
4. माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के निजी सचिव
5. स्थापना प्रभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग
6. महानिदेशक के पी.एस.ओ./सचिव के मुख्य निजी सचिव/वित्तीय सलाहकार के मुख्य निजी सचिव
7. मीडिया यूनिट, परिषद के वेबसाइट पर प्रकाशित करने के लिए
8. गार्ड फ़ाइल/अतिरिक्त प्रतियां